

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/कारपोरेट), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संबर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-28 के अन्तर्गत 50 लाख वार्षिक टर्नओवर से कम के व्यापारियों का कर निर्धारण कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा कर निर्धारण हेतु चयन के पश्चात किया जाना अपेक्षित है । इस हेतु वर्ष 2016-2017 के डीलर्स की टर्न ओवर मार्किंग करते हुए रु 50 लाख से कम एवं 50 लाख से अधिक की मार्किंग की जानी थी । मुख्यालय स्तर पर जोन वार समीक्षा में वर्ष 2016-2017 की टर्न आवेर मार्किंग की स्थिति निम्नवत पायी गयी :-

Marking Assessment Report (Zone Wise) for Assessment Year 2016-2017

S. No.	Zone	Marking Dealers			
		Total Dealers	Less than or equal to 50 Lacks	Greater than 50 Lacks	Unmarked
1	Agra	38505	0	0	38505
2	Aligarh	54932	0	0	54932
3	Ayodhya	75151	0	0	75151
4	Bareilly	45764	0	0	45764
5	Etawah	44216	0	0	44216
6	Gautambudha Nagar	34411	0	0	34411
7	Ghaziabad I	36076	0	0	36076
8	Ghaziabad II	29625	0	0	29625
9	Gorakhpur	76198	0	0	76198
10	Jhansi	44169	0	0	44169
11	Kanpur I	29435	0	0	29435
12	Kanpur II	34409	0	0	34409
13	Lucknow I	51159	0	0	51159
14	Lucknow II	49259	0	0	49259
15	Meerut	34846	0	0	34846
16	Moradabad	62773	0	0	62773
17	Prayagraj	51543	0	0	51543
18	Saharanpur	38872	0	0	38872
19	Varanasi I	44147	0	0	44147
20	Varanasi II	79319	0	0	79319
Total		954809	0	0	954809

अतः आपको निर्देशित किया जाता है वर्ष 2016-2017 की टर्न ओवर मार्किंग का कार्य बिलम्बतम दिनांक 31-05-2019 तक अवश्य पूर्ण करा लिया जाये ।



(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।